ग्राम पंचायत पंधेड , विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश - 177001 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि: 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग- एक

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पंधेड, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.0.42015 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पंधेड में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:

प्रधान:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुषमा देवी	01-04-2015 से 22.01.16
2	श्री दीप चंद कालिया	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र॰ सं	नाम	अवधि
1	श्री वनीत कुमार	01.04.2015 से 16.02.2017
2	श्री अजय कुमार	17-02-2017 से 17-04-2017
3	श्री वनीत कुमार	18-04-2017 से 16-07-2017
4	श्री अजय कुमार	17-07-2017 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत पंधेड, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 04/15 से 03/18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	18.34
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि।	0.04
3	10(1), (2)	रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करना नियम प्रावधानों के विपरीत नगद हस्तगत शेष ₹1000 से अधिक रखना	0.83
4	10(3)	दिनांक 10-04-17 को अंतिम नगद हस्तगत शेष का लेखांकन रोकड़ बही में न करना	0.73
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.73
6	13	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण/ भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना	2.00
7	14	संकर्मों के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना	
8	15	बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना	0.45
9	16	वर्ष 2014-15 में निर्माण सामग्री खरीदने हेतु ली गई कुटेशनों में टेम्परिंग करके अनुचित भुगतान:	0.02
10	17	13^{TH} व 14^{TH} बित्त आयोग की बैंक पास बुक में दर्शाये भुगतानों की कैश बुक प्रविष्टियों एवं संबन्धित बाउचरों की पुष्टि न होना:	1.38

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:

ग्राम पंचायत पंधेड, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी

तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21-08-2018 से 27-08-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2015-16	02/2016	04/2015
2016-17	03/2017	03/2017
2017-18	03/2018	03/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:

ग्राम पंचायत पंधेड , विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6600 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009" को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-55 दिनांक 25/08/2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को पंजाब नेशनल बैंक के माँग ड्राफ्ट संख्या: 113832 दिनांक 29-08-2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत पंधेड, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

1 स्वस्त्रौत:-

ग्राम पंचायत पंधेड, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिमशेष ₹
2015-16	124280.86	26310	150590.86	32208.8	118382.06
2016-17	118382.06	49586	167968.06	38631.93	129336.13

2017-18	129336.13	306339.86	435675.99	135434.75	300241.24

2 अनुदानः

ग्राम पंचायत पंधेड, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/15 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2015-16	763100.57	2191519.50	2954620.07	2111331.40	843288.67
2016-17	843288.67	1622131.00	2465419.67	1391053.86	1074365.81
2017-18	1074365.81	3260439.00	4334804.81	2501285	1833520

3 दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत पंधेड के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रम संख्या	रोकड़बही	बैंक	बैंक खाता संख्या:	राशि ₹
1	VKVNY/MPLANDS/SDP/R&R	PN B	1721000100038795	663190
2	RAY	PN B	1721000102935720	1661
3	SBMG	PN B	17210001029357111	428896
4	OWN SOURCES	PN B	1721000100044556	300241.24
5	14TH FC	PN B	1721000102922391	756907
	कुलराशि			**2150895.24**

5 बैंक समाधान विवरणी

स्व स्त्रोत: दिनांक 31-03-2018 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता “क” का अंतिम शेष 300241.24

अनुदान: दिनांक 31-03-2018 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता “ख” का अंतिम शेष 1833520.00

दिनांक 31-03-2018 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **"क" व "ख" का कुल अंतिम शेष**	2133761.24
दिनांक 31-03-2018 को पंचायत के बैंक खातों के अनुसार खाता "क" व "ख" का कुल अंतिम शेष	2150895.24
अंतर की राशि (दिनांक 31-03-2018 को वित्तीय स्तिथि अनुसार खाता "क" व "ख" का कुल अंतिम शेष - कुल बैंक शेष)	17134.00
अंतर का कारण:- 13वें व 14वें वित्त आयोग खाते से माह 03/18 में दो चैक नं० 264135 व 264137 क्रमश: ₹84 व ₹17,050 के भुगतानार्थ जारी किए गए थे जिनका भुगतान बैंक पास बुक के अनुसार माह 04/18 में किया गया था	17134.00
शुद्ध अंतर	0.00

5.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा l यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा l इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगाl परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए चार रोकड़ बही व चार से ज्यादा बैंक पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई हैं जोकि अनियमित है l अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03-09-2018 तक कोई उत्तर नहीं दिया। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

5.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से उचित ढंग से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत, पंधेड की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान उचित ढंग से नहीं किया गया था, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **7(3)** व **10(1)** के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान उचित ढंग से न करना नियमों के विरूद्ध है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का नियमानुसार रख-रखाव व बैंक खातों के साथ समुचित ढंग से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित

प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹18.34 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹1833520 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03-09-2018 तक कोई उत्तर नहीं दिया था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व की ₹1,050 वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृहकर के रूप में वसूली हेतु₹1,050 शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03-09-2018 तक कोई उत्तर नहीं दिया। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गृह कर:-

वर्ष	अथशेsष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	1020	11220	12240	11190	1050
2016-17	1050	14680	15730	14600	1130
2017-18	1130	14360	15490	14440	1050

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम

सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03-09-2018 तक कोई उत्तर नहीं दिया। अतः भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10(1) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार रोकड़ वही बनाए रखने संबंधी नियम 7(1) के प्रावधानानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख होगी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था। किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है, अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03-09-2018 तक कोई उत्तर नहीं दिया। अत: तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 के इस प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

10(2) पंचायत की रोकड़ वही खाता"क" के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था (जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है), अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1190 से लेकर ₹5420 तक की राशि को अधिकतम 18 दिनों तक के लिए हस्तगत रखा गया था। जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का तथ्यों तथा आंकड़ों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए l

10(3) दिनांक 10-04-2017 को रोकड़ बही पृष्ठ 70 (**परिशिष्ट "क")** के अनुसार हस्तगत शेष ₹4106 था, जबकि रोकड़ बही पृष्ठ 71 के अनुसार दिनांक 16-04-17 व 20-04-17 को प्राम्भिक हस्तगत नगद शेष शून्य दर्शाया गया था। इस प्रकार रोकड़ वही में ₹4106 का लेखांकन दिनांक 10-04-17 के बाद प्रारम्भिक हस्तगत शेष के रूप में नहीं किया गया था, जोकि एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करें हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया। अत: रोकड़ वही में ₹4106 का लेखांकन दिनांक 10-04-17 के

बाद प्रारम्भिक हस्तगत शेष के रूप में नहीं करने का तथ्यों तथा आंकड़ों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई ₹4106 की वसूली उचित स्त्रोत/चूक कर्ता से करना सुनिश्चित करें।

11 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। सभी बिलों को केबल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया था न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया था।

यह एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति दिनांक तक कोई उत्तर नहीं दिया। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी संदायों/भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने के उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.83 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट " ख"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹82,903 के स्टॉक/स्टोर का क्रय हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 के प्रावधानों के अनुसार न करके एवं निविदा सम्बन्धी अन्य कागजी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। स्टोर/स्टॉक का क्रय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 क्रय की गई ₹0.73 लाख की सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 से 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं

अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है l परन्तु पंचायत के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के चयनित मासों के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ख"** में दिये गए विवरणानुसार ₹72,965 की सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था l जाँच के दौरान यह भी बताया गया कि छोटी राशि की मदों को स्टॉक में नहीं लिया जाता है। मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जाँच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा तैयार व प्रस्तुत अभिलेख स्पष्ट व स्वत: अंतर्विष्ट नहीं था।

यह एक गम्भीर अनियमितता है l अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट / अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया। अत: पंचायत/ विभागीय स्तर पर आवश्यक विस्तृत जांच उपरांत इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

14 ₹2.01 लाख के निर्माण कार्य के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत न करना:–

अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "ख"** में दिये गए विवरणानुसार **₹**2,00,754 के निर्माण कार्यो के संबंध में माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत नहीं की गईं, जिसके कारण निर्माण कार्यों पर व्यय की गईं राशियों की उपयोगिता एवं सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अत: उचित स्पष्टीकरण सहित संबन्धित माप पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

15 ₹0.45 लाख के बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना:-

अंकेक्षण में **परिशिष्ट "क"** में दिये गए विवरणानुसार बिल/वाउचरों में क्रय/किराए पर ली गई सामग्री एवं सामान की ढुलाई इत्यादि हेतु चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन दूरी, मात्रा, आकार, प्रकार, परिमाप इत्यादि विशिष्टताओं के अभाव में नहीं हो पाया। अत: उक्त बिल/वाउचरों के तहत क्रय सभी सामग्रियों हेतु चार्ज दरों को आवश्यक विवरणों सहित पूर्णत: न्यायसंगत ठहराया जाए अन्यथा ₹44711 की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए एवं भविष्य में भी क्रय करते समय बिल/वाउचरों में चार्ज दरों को न्यायसंगत ठहराने हेतु आवश्यक विशिष्टताओं का समर्थित अभिलेख में उल्लेख करना/करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 वर्ष 2014-15 में निर्माण सामग्री खरीदने हेतु ली गई निविदाओ में टेम्परिंग करके ₹0.02 लाख का अनुचित भुगतान:

वाउचर सं० 02 दिनांक 04-04-15 रोकड़ बही 13TH व 14TH बित्त आयोग की जांच करने पर पाया गया कि मै० गौरव एंटरप्राइजीज के बिल नं० 462 दिनांक 01-03-15 के अन्तर्गत खरीदे गए 6M^3 बोल्डर हेतु ₹1000/m^3 की दर से रेट चार्ज किया गया दर्शाया था, जबकि इस मद के लिए मै० गौरव एंटरप्राइजीज/ शर्मा ने उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार वर्ष 2014-15 के लिए अपनी निविदा में ₹680/m^3 न्यूनतम रेट भरे थे, जिन्हें टेंपर करके ₹680 से ₹980/m^3 किया गया था, जबकि अन्य कुटेशन दाताओं पुरषोतम दास शर्मा, सुमित कुमार शर्मा, रवि कुमार ने इस मद के लिए क्रमश: ₹800/m^3, ₹850/m^3 व ₹790/m^3 दर quote की गई थी। इसके अतिरिक्त

कार्यवाही रजिस्टर पेज 124 पर भी इस मद की दर 680 रू०/m^3 प्रस्तावित/अनुमोदित है। बाबजूद इसके मै० गौरव एंटरप्राइजीज के बिल नं० 462 दिनांक 01-03-15 की एवज़ में 6M^3 बोल्डर हेतु 1000 /m^3 की दर से भुगतान करना एक गंभीर अनियमितता का संकेत है। इसके अतिरिक्त बाउचर सं० 5 के तहत 2.5m^3 रेता क्रय हेतु न्यूनतम उदधृत (quoted) दर ₹1120 के स्थान पर ₹1130/m^3 की दर से भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया। अत: इन कुटेशनों के आधार पर क्रय की गई समस्त सामग्री बिल/ वौउचरों की विभागीय स्तर पर गहन जांच उपरांत वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए बाउचर सं० 2 व 5 के अन्तर्गत ₹1945 (1920+25) के किए गये अधिक भुगतानों की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

17 13TH व 14TH बित्त आयोग की बैंक पास बुक में दर्शाये ₹1.38 लाख के भुगतानों की कैश बुक प्रविष्टियों एवं संबन्धित बाउचरों की पुष्टि न होना:

13TH व 14 TH बित्त आयोग की बैंक पास बुक खाता सं० 1721000102922391 के अनुसार माह 04/2015 में निम्नविवरनानुसार ₹1,38,488 का भुगतान किया गया था, जिनके समर्थन में न तो किसी रोकड़ बही में प्रविष्टियों की पुष्टि हो पाई और न ही संबन्धित बाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए:-

दिनांक	**चैक नं०**	**विवरण**	**राशि**
09-04-15	13941	To Pinki Kumari	30000
09-04-15	13942	To HPSCS Corpn.	13200
09-04-15	13943	To Kamaljeet Gautam	1000
17-04-15	13944	To Pinki Kumari	30000
18-04-15	13946	To Chauhan Cement	50088
24-04-15	13945	To HPSCS Corpn.	13200
24-04-15	13947	To Bittu Ram	1000
		योग	**138488**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया। अत: पंचायत/ विभागीय स्तर पर आवश्यक विस्तृत जांच उपरांत इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

18 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय / अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गये प्रारूप -3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर

आर० टी० जी० एस०/ ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है| इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

19 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 इत्यादि के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया। अतः आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्ररूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)		
2	विकास सकर्मो के निष्पादन का रजिस्टर 7 34		
	हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997		
3	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज		
(	सामान्य) नियम, 1997 8 34		
4	बिजली, पानी व टेलीफोन बिल रजिस्टर		
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33		, 77 (4)
6	बजट प्राक्कलन 11	, 12	37, 38
7	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर 25 72 (1)		
8	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों		
	का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1)		ख
9	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर	27 72 (1) (	ग)
10	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी		
	आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)		

11 यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।

12. बिल प्राप्ति का रजिस्टर 13 48

13. मस्ट्रोल निर्गम, स्टॉक रजिस्टरों का अपूर्ण रख-रखाव

14 माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(v)

15 वर्गीकृत सार 8 29 (4)

21 विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही l जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

22 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101 ,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही निर्माण कार्यों के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मूल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

23 ₹0.10 लाख या इससे अधिक के सभी भुगतान इ-बैंकिंग के माध्यम से करने बारे: -

₹0.10 लाख या इससे अधिक के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीजीएस/एनईएफ़टी के माध्यम से किए जाने अपेक्षित हैं। अत: इस संदर्भ में प्रधान सचिव (वित्त), वित्त (रेग्युलेशनज़) विभाग, हि० प्र० सरकार द्वारा पत्र संख्या फिन(सी)ए(3)-5/2004 दिनांक 23 अगस्त,2011 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित न करने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त नियम की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

24 प्रत्यक्ष-सत्यापन:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष

सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में विद्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :56 दिनांक 25-08-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतुअनुरोध किया गया जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

25 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

26 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी/अनुश्रवण (मोनिट्रिंग) की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)66/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत पन्धेड़, विकास खण्ड बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046